संख्या– 1257/38–7–2008

प्रेषक,

डा0 जे0एन0चेम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत यथासम्भव मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंको से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुकम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन के लिए पारदर्शिता लाने की दृष्टि से श्रमिकों को पूर्ण श्रमांश/मजदूरी के भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 01–04–2008 से समस्त मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभर्थियों के खाते खोलकर किया जायेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं न हो ऐसे स्थानों पर निकटतम पोस्ट आफिस में खाता खोला जाय। पोस्ट आफिस में खाता खोले जाने हेतु प्रथम चरण में पायलेट बेस पर प्रदेश के 05 जनपदों (कानपुर देहात, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बस्ती एवं बाराबंकी) में पोस्ट आफिस के माध्यम से श्रमिकों को मजदूरी देने हेतु खाते खुलवानें की प्रकिया प्रारम्भ की जाय। यदि किन्ही परिस्थितियों में जिलाधिकारी यह महसूस करते है कि बैंक शाखा दूर होने अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से भुगतान किया जाना सम्भव न हो, तो उक्त दशा में वे न्याय पंचायत को स्थानीय स्तर पर अधिकृत करेंगे कुछ एक परियोजनाओं पर मजदूरी का भुगतान नगद किया जा सकता है।

2– जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भुगतान ग्राम की निकटतम बैंक शाखा से किया जाय ताकि ग्रामीणों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए अनावश्यक दूरी न तय करनी पडे। सामान्य तौर पर जिस बैंक शाखा से संबंधित ग्राम के विधवा/विकलांग पेंशनार्थी पेंशन प्राप्त करते हों उसी शाखा से यह भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि विशिष्ट परिस्थितियों में लाभार्थी स्वयं किसी अन्य शाखा से भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह सुविधा अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

3– इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अविलम्ब जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की एक विशेष बैठक आहूत कर लें तथा वाणिज्यिक बैंक का सहयोग प्राप्त करें। एक व्यापक अभियान चलाकर सभी जॉब–कार्ड धारकों के जीरो बैलेन्श एकाउन्ट शीर्ष प्राथमिकता पर खुलवा लिये जायं ताकि इस निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यथासम्भव स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नवीन व्यवस्था से अवगत कराते हुए उनका सहयोग एवं समर्थन प्राप्त कर लिया जाय।

4– प्रदेश के जिन जनपदों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जॉब–कार्ड धारकों के खाते खोल दिये गये हों उनके विवरण भी शासन को उपलब्ध कराय जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन से संबंधित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन की मंशा से अवगत करा दें ताकि इसके व्यावहारिक कियान्वयन में किसी प्रकार की प्रकियात्मक बाधा न उत्पन्न हो।

भवदीय,

(डा0 जे0एन0चेम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1257 (1)/88–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।